

VISION IAS

www.visionias.in

P173

सामाजिक ज्याय सामान्य अध्ययन







VISIONIAS

www.visionias.in

Classroom Study Material

सामाजिक न्याय

जनसंख्या के सुभेद्य वर्गों के लिए केंद्र और राज्यों की कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का निष्पादन; इन सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा और उन्नति के लिए तंत्र, कानून, संस्थान और गठित किए गए निकाय

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

| 1. सुभेद्य वर्ग (Vulnerable Sections) | 4 |
|---|----|
| 2. सुभेद्य वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का औचित्य | 4 |
| 3. समाज के सुभेद्य वर्ग | 5 |
| 3.1. बच्चे (Children) | 5 |
| 3.1.1. बच्चों से संबंधित योजनाएं | |
| 3.2. महिलाएं (Women) | 15 |
| 3.2.1. योजनाएं (Schemes) | 15 |
| 3.3. अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़ा वर्ग | 18 |
| 3.3.1. अनुसूचित जातियाँ (Scheduled Castes) | 18 |
| 3.3.2. अनुसूचित जनजातियाँ (Scheduled Tribes) | 19 |
| 3.3.3. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) | 19 |
| 3.3.4. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं | 19 |
| 3.3.5. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट योजनाएं | |
| 3.3.6. अनुसूचित जनजातियों के लिए विशिष्ट योजनाएं | |
| 3.3.7. अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए विशिष्ट योजनाएं | 22 |
| 3.4. वरिष्ठ नागरिक/वृद्ध लोग (Senior Citizens/Aged) | 23 |
| 3.4.1. योजनाएं (Schemes) | 23 |
| 3.5. विकलांग या निःशक्त जन/ दिव्यांग जन (Disabled Persons) | 24 |
| 3.5.1. योजनाएं (Schemes) | |
| 3.6. अल्पसंख्यक समुदाय (Minorities) | 27 |
| 3 6 1 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाएं | 27 |
| 3.7. LGBT समुदाय (LGBT Community) | 29 |
| 3.7.1 योजनाएं (Schemes) | 29 |
| 3.7.2. भारत में LGBT समुदाय के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार/ न्यायपालिका की पहल | 30 |
| 3.8. निर्धन लोग (Poor Persons) | 30 |
| 3.8.1. निर्धन लोगों के लिए योजनाएँ (Schemes for Poor Persons) | |
| 4. विभिन्न अन्य योजनाओं की उपलब्धियां | 32 |
| 4.1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission: NRHM) | |
| 4.2. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: PMUY) | |
| 4.3. विभिन्न योजनाओं की निगरानी में सुधार के लिए हाल में की गईं पहलें | |
| 4.4. आगे की राह (Way Forward) | |
| 5. इन सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 5.1. सुभेद्य वर्गों के लिए भारत में विद्यमान तंत्र | 34 |

| 5.2. सुभेद्य वर्गों की बेहतरी से संबंधित कानून | 34 |
|--|----|
| 5.2.1. बच्चे (Children) | |
| 5.2.2. महिलाएं (Women) | |
| 5.2.3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछःडा वर्ग | 37 |
| 5.2.4. वरिष्ठ नागरिक/वयोवृद्ध (Senior Citizens/ Aged) | 37 |
| 5.2.5. विकलांग व्यक्ति (Disabled Persons) | 38 |
| 5.2.6. अल्पसंख्यक (Minorities) | 38 |
| 5.2.7. LGBT से संबंधित कानून (Laws Related to LGBT) | 39 |
| 5.3. इन सुभेद्य वर्गों की उन्नति के लिए संस्थान और निकाय | 39 |
| 5.3.1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | 39 |
| 5.3.2. बच्चे (Children) | 39 |
| 5.3.3. महिलाएँ (Women) | 41 |
| 5.3.4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (SCs/STs/OBCs) | 42 |
| 5.3.5. अल्पसंख्यक (Minorities) | 46 |
| <u> </u> | 47 |
| 5.3.7. वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens) | 48 |
| ੇ ਰਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਸੇਂ Vision IAS CS ਸੇਂਸ ਰੇਤਤ ਸੀ ਹਿਤ ਸੇਂ ਸਕੇ ਸਮ ਸਭਾ | 40 |



Plus Pramesh eLib

1. सुभेद्य वर्ग (Vulnerable Sections)

सुभेद्यता शब्द को "बाह्य बलों के कारण होने वाली हानि या क्षति की प्रवृत्ति" के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यापक रूप से उद्धृत विवरण के अनुसार, सुभेद्य समूह: "वे समूह हैं जो सामान्य जनसंख्या की तुलना में गरीबी और सामाजिक बिहष्करण के उच्च जोखिम का अनुभव करते हैं। नृजातीय अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, निःशक्त जनों, आश्रयहीनों, मादक पदार्थों के व्यसनियों, एकाकी वृद्धजनों और बच्चों को प्राय: शिक्षा के निम्न स्तर और बेरोजगारी या अल्परोजगार जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उनका और भी सामाजिक बिहष्करण हो सकता है।"

सामान्य समझ में, सुभेद्य वर्ग जनसँख्या के वे वर्ग हैं जो अपूर्ण या अन्यायपूर्ण प्रणाली- सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक, पारिवारिक संरचना, पर्यावरणीय या किसी अन्य कारक से पीड़ित होने के उच्च जोखिम का सामना करते हैं और जिनका इन समूहों पर प्रभाव पड़ता है। इन सुभेद्य वर्गों की सुभेद्यता की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ये एक समूह के रूप में सुभेद्य होते हैं।
- यह सुभेद्यता **कई कारकों** सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक के कारण होती है।
- यह सुभेद्यता व्यवस्थित और संरचित होती है।

भारत में विभिन्न समूहों को सुभेद्य वर्गों में रखा जा सकता है जैसे बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति, LGBT समुदाय, गरीब लोग आदि।

2. सुभेद्य वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का औचित्य

(Rationale of Welfare Schemes for Vulnerable Sections)

संवैधानिक और दार्शनिक आधार (Constitutional and Philosophical Basis)

- भारत के संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" एवं
 "प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता" सिनिश्चित करना है।
- विभिन्न अनुच्छेदों में निहित **मूल अधिकार** विभिन्न अधिकार प्रदान करते हैं जैसे समता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता के विरूद्ध अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार आदि।
- राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अनुसार भी राज्य के सभी नागरिकों का कल्याण राज्य का प्राथमिक उत्तरदायित्व है जो वस्तुत: इसे एक कल्याणुकारी राज्य के रूप में स्थापित करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न अभिसमय भी सुभेद्ध वर्गों के लिए राज्य द्वारा सहायता का प्रावधान करते हैं, जैसे - बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय।

मानवतावादी आधार (Humanitarian Grounds)

- इन सुभेद्य वर्गों के कल्याण हेत् राज्य से विशेष सहायता और देखभाल की आवश्यकता है।
- राज्य की सहायता के बिना, इन्हें कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिसके कारण ये उन समान तथा निष्पक्ष अवसरों का लाभ नहीं उठा पाएंगे जो अन्य नागरिकों को उपलब्ध हैं।

आर्थिक अनिवार्यता (Economic Imperative)

- समावेशी विकास उच्च आर्थिक विकास के लिए समावेशी विकास आवश्यक है और वास्तव में इन दोनों के मध्य एक सहजीवी संबंध है।
- समावेशी विकास का उद्देश्य अपूर्ण बना रहेगा यदि इन वर्गों को सहायता नहीं प्रदान की जाती है।
- कल्याणकारी योजनाएं गरीबों और वंचित लोगों की रक्षा करती हैं तथा कौशल/आर्थिक कल्याण के निम्न सोपान पर श्रम बल को सुसज्जित करती हैं। इस प्रकार ये योजनाएँ उन्हें आर्थिक विकास को त्वरित करने की प्रक्रिया में बेहतर प्रतिभागिता के लिए सक्षम बनाती हैं।





©Vision IAS

राष्ट्र निर्माण (Nation Building)

- सुभेद्य वर्ग सदा प्रतिकूल स्थिति में होंगे जिसका परिणाम उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले जीवन और विकल्पों की निम्न गुणवत्ता में परिलक्षित होगा। इसके कारण समाज में आक्रोश और टकराव उत्पन्न होगा।
- ये वर्ग सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था को एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखेंगे जो राष्ट्र निर्माण के कार्य और सभी नागरिकों में एकता की भावना उत्पन्न करने में बाधक सिद्ध होगा।

1 De la constante de la consta

3. समाज के सुभेद्य वर्ग

(Vulnerable Sections of Society)

3.1. बच्चे (Children)

बच्चे अपनी कम आयु के कारण शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा और उपेक्षा के प्रति सुभेद्य होते हैं। हालांकि, अनाथ और बेघर बच्चों, शरणार्थी या विस्थापित बच्चों, बाल श्रमिकों, वेश्यावृत्ति या यौन दुर्व्यवहार में फंसे बच्चों, दिव्यांग बच्चों और अपराधी बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे विशेष रूप से सुभेद्य होते हैं।

शब्द 'सुभेद्य बच्चे' उस आयु वर्ग को संदर्भित करता है जो जोखिमपूर्ण स्थिति में है। किन्तु सुभेद्यता को मात्र आयु के अनुसार परिभाषित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में बच्चों की सुभेद्यता निम्नलिखित कारकों से और बढ़ जाती है:

- शारीरिक निःशक्तता
- मानसिक निःशक्तता
- उकसाने वाला व्यवहार: बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य या व्यवहार संबंधी समस्याओं के सम्बन्ध में अज्ञानता या गलतफहमी के कारण कुछ लोग चिढ़कर या कुंठित होकर या तो बच्चों पर क्रोध करते हैं या पूरी तरह से उनकी उपेक्षा करने लगते हैं।
- शक्तिहीनता: शक्तिहीनता बच्चों के आस-पास के लोगों और परिस्थितियों की उपज होती है। यदि राज्य, परिवार या समुदाय द्वारा बच्चे को सहभागी बनने और अपने अधिकारों एवं दायित्वों को पूरा करने की शक्ति दी जाती है तो उनकी सुभेद्यता में कमी आती है।
- संरक्षण का अभाव: यह स्थिति राज्य या माता-पिता अथवा समुदाय द्वारा सुरक्षा न प्रदान करने के कारण उत्पन्न होती है। यदि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ कोई कानून ही न हो तब कोई बच्चा दुर्व्यवहार के विरूद्ध अपनी रक्षा कैसे कर सकता है।
- निष्क्रियता: बच्चे की स्थिति या व्यवहार के कारण। उद्गहरण के लिए दासता या दमन से उत्पीडित बच्चे में सहायता या सुरक्षा मांगने की क्षमता नहीं होती है।
- बीमारी
- अदृश्य: दुर्भाग्यवश अनेक बच्चे ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था की नज़र में कोई पहचान नहीं है। ऐसे बच्चे अत्यधिक सुभेद्य होते हैं।
- छोटे बच्चे, विशेष रूप से छह वर्ष भे कम आयु के बच्चे, सुरक्षा तंत्र पर अत्यधिक अधिक निर्भर होते हैं।

भारत में सुभेद्य बच्चों को, और्सो:और समस्याओं का सामना करना पड़ता है

- उनमें से कुछ बच्चों का बाल श्रमिकों के रूप में शोषण किया जाता है।
- गरीबी और भेदभाव का सामना करने वाले बच्चे कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, घटिया शैक्षिक सुविधाओं, गरीब संसाधनों के प्रति अधिक सुभेद्य होते हैं। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता और अवसर सीमित हो जाते हैं।
- प्रचलित सामाजिक मानदंडों के कारण लड़िकयां अधिक प्रतिकूल स्थिति में होती हैं। ये मानदंड लड़िकयों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि परिवारों में बेटी के स्थान पर बेटे को अधिक वरीयता दी जाती है।



बच्चों के संबंध में तथ्य

- स्कूल जाने वाली आयु के 4 बच्चों में से 1 बच्चा हमारे देश में स्कूल से बाहर है (जनगणना 2011)
- भारत में 5-18 वर्ष की आयु के बीच के 33 मिलियन और 5-14 वर्ष की आयु के बीच 10.13
 मिलियन बाल श्रमिक हैं। (जनगणना 2011)
- प्रति दिन, लगभग 150 बच्चे भारत में लापता हो जाते हैं अपहरण और बंधक बनाना हमारे देश
 में बच्चों के विरूद्ध सबसे बड़ा अपराध है। (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2016)
- भारत में 6 वर्ष से कम आयु के 19.8 मिलियन बच्चे अल्पपोषित हैं। (ICDS 2015)
- देश में 0-5 वर्ष के बीच के 38% बच्चे (3 में से 1) छोटे कद के हैं। (NFHS 4, 2015-16)
- भारत में 42% विवाहित महिलाओं का विवाह बाल्यावस्था में हुआ था। (जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (DISE) 3)
- बालिकाओं को हिंसा के विभिन्न रूपों का सामना करना पड़ता है जैसे-शिशुहत्या, पोषण आवश्यकताओं की उपेक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की कमी आदि।

3.1.1. बच्चों से संबंधित योजनाएं

(Schemes Related to Children)

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS-Integrated Child Development Services) योजना प्रारंभिक बचपन की देखभाल के लिए 2 अक्टूबर 1975 को यह केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की गई

थी। इसके अंतर्गत बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण और पूर्व-विद्यालयी शिक्षा प्रदान की जाती है।

उद्देश्य

- 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना;
- बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना;
- मृत्यु दर, रूग्णता, कुपोषण और विद्यालय छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना;
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना; तथा
- उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम हो बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की माँ की क्षयता को बढ़ाना।

लाभार्थी

- 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे।
- गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं।

ICDS योजना छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है, जैसे पूरक पोषण; विद्यालय से पूर्व की अनौपचारिक शिक्षा; पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा; प्रतिरक्षण; स्वास्थ्य जांच; और रेफरल सेवाएं।

ICDS का निष्पादन मूल्यांकन

ICDS योजना के अधीन सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्र (AWC-Anganwadi Centre) के मंच से उपलब्ध कराई जाती हैं। जून 2015 में प्रस्तुत NITI आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (PEO-Programme Evaluation Organization) की रिपोर्ट के अनुसार, ICDS 7966 परियोजनाओं और 13.42 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से देश में 6 वर्ष से कम आयु के 16.45 करोड़ बच्चों में से





©Vision IAS

8.4 करोड़ बच्चों और 1.91 करोड़ गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को कवर करता है। इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- यह पाया गया कि 75.7% AWCs सही तरीके से अभिलेखों का अनुरक्षण कर रहे हैं, हालांकि,
 शेष 24.3% AWCs द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों में समस्याएं देखी गईं।
- यह देखा गया था कि 99% AWCs बाल स्वास्थ्य देखभाल पर माताओं को परामर्श प्रदान कर रहे हैं और 68.6% AWCs बच्चों के कुपोषण को दूर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, 22.5% AWCs में बच्चों के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- दिसम्बर, 2013 के महीने के लिए AWCs द्वारा अनुरक्षित स्वास्थ्य अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि क्रमश: 74.6%, 19 .7% और 5.7% बच्चे सामान्य (N-Normal), मध्यम कुपोषित (MM-moderately malnourished) और गंभीर रूप से कुपोषित (SM-severely malnourished) थे।
- अप्रैल, 2014 के दौरान मूल्यांकन दलों द्वारा बच्चे के वजन मापन के दौरान यह देखा गया कि जिन बच्चों का वजन मापा गया उनमें से क्रमश: 77.4%, 17.6% और 5% बच्चे N, MM और SM की श्रेणी में थे।
- AWCs को प्रदान की गई अवसंरचना और सहायता के भौतिक सत्यापन से पता चला कि इनमें से 59% के पास पर्याप्त स्थान है, और इस प्रकार शेष 41% के पास या तो स्थान की कमी है या अनुपयुक्त स्थान है। यह भी पाया गया कि 40% AWCs के पास अपना स्थान है और शेष 60% किराए के स्थलों पर स्थित हैं।
- अध्ययन में पाया गया कि 86.3% AWCs में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध हैं और शेष 13.7% में
 सुरक्षित पेयजल सुविधाएं नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, AWCs की स्वच्छता स्थिति में सुधार की
 आवश्यकता है क्योंकि इनमें से केवल 48.2% की स्वच्छता स्थिति उपयुक्त है।

सुझाव

- नामांकित बच्चों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए और केंद्रों को स्थानीय क्षेत्र के सुविधाजनक और स्वच्छ इलाकों में स्थित होना चाहिए।
- AWCs आवासों को उचित सुविधाओं से सुसज्ज्ति किया जाना चाहिए जैसे-स्वच्छता सुविधाएं, सुरक्षित पेयजल, शौचालय, पर्याप्त दवाएं, विद्युत आपूर्ति, उपकरण/खिलौने आदि। केंद्रों को दीवारों या कांटेदार तारों से सुरक्षित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक AWCs में पर्याप्त संख्या में महिला कार्यकर्ताओं को परिनियोजित करना चाहिए। AWC कार्यकर्ताओं/सहायकों के लिए नियत मासिक भानदेय में वृद्धि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, AWC कार्यकर्ताओं को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए।
- AWC कार्यकर्ताओं और उनके प्रश्वेक्षकों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें स्वतंत्र रूप से पंजिकाओं और अन्य अभिलेखों को संभालने के लिए पूरक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने चाहिए।
- चिकित्सकों को नियमित रूप से AWC का भ्रमण करना चाहिए।
- AWC को अपने पास नामांकित सभी बच्चों का पूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना चाहिए। वर्तमान में,
 AWC को लगभग 30 पंजिकाओं का अनुरक्षण करना होता है जो एक बड़ा कार्य है। इनकी संख्या कम करने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।
- कुपोषित बच्चों की माताओं को नियमित परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।
- खंड और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा केंद्रों की मौके पर निगरानी और पर्यवेक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए।





AWC में उपलब्ध कराया जाने वाला भोजन अच्छी गुणवत्ता और पोषण वाला होना चाहिए।
 वित्तीय मानदंडों में वृद्धि से AWC के भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है। खाना पकाने के उद्देश्य के लिए प्रत्येक AWC को LPG गैस की भी आपूर्ति की जा सकती है।



निष्कर्ष

केंद्र सरकार AWC नेटवर्क के माध्यम से शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपये व्यय कर रही है। इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि कुल नमूना आकार (सैंपल साइज़) के 77.4% बच्चे सामान्य श्रेणी में पाए गए हैं जिसका अर्थ है कि असंख्य बाधाओं के बावजूद, 0 से 5 वर्ष के बच्चों के मध्य कुपोषण में कमी आई है। जैसा कि क्षेत्रीय अध्ययन से परिकल्पना की गई है, लोग ICDS कार्यक्रम के संबंध में भलीभांति अवगत हैं और अपने बच्चों को AWC भेज रहे हैं। हालांकि, दूरदराज के इलाकों के बच्चे इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक नर्सरी स्कूलों का खुलना आजकल AWC में बच्चों के नामांकन के लिए बड़ा खतरा बन गया है जब तक कि AWC की आधारभूत संरचना और अन्य सुविधाओं का उन्नयन नहीं किया जाता है। AWC कार्यकर्ताओं की कार्यस्थितियों और पारिश्रमिक के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

समेकित बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme)

समेकित बाल संरक्षण योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2009-10 से ही केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किया जा रहा है। यह "बाल अधिकारों के संरक्षण" एवं "बच्चे के सर्वोत्तम हित" के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य अपनी गतिविधियों के कारण विधिक कार्रवाई का सामना करने वाले बच्चों एवं साथ ही देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए एक निरापद और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है। यह अनेक वर्तमान बाल संरक्षण कार्यक्रमों को बेहतर मानदंडों के साथ एक छत्र के नीचे लाने हेतु व्यापक योजना है। समेकित बाल संरक्षण योजना के निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं:

- चाइल्डलाइन 1098 हेल्पलाइन के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवाएं।
- शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बच्चों के लिए खुले आश्रय।
- प्रायोजन, पालन–देखभाल, गोद लेने और अनुरक्षण के माध्यम से परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाला
- बाल-गृहों, आश्रय-गृहों, प्रेक्षण-गृहों, विशेष गृहों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष गृहों के माध्यम से संस्थागत देखभाल।
- विशिष्ट आवश्यकता आधारित या नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान।

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) का प्रदर्शन मूल्यांकन (Performance Evaluation of ICPS)

"सेव द चिल्ड्रन" द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट ने समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) कार्यान्वयन के विषय में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला है -

लाभ

ICPS) के कार्यान्समिको घरिणसांमसमारूपेजनल(देखभाल संस्थाओं

(CCIs) के वित्तपोषण और निगरानी एवं साथ ही साथ बाल कल्याण सिमतियों (CWCs) और किशोर न्याय परिषदों (JJBs) जैसे वैधानिक निकायों की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

 एक कार्यक्रम के रूप में समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) बाल संरक्षण के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे के सुधार में सहायक रही है। हालाँकि यह योजना अभी भी विकास की अवस्था में ही है।



चुनौतियाँ

- यह योजना सीमित क्षमता और निधियों के अपर्याप्त उपयोग की समस्या से ग्रसित रही है।
- बच्चों की सुभेद्यता का मानचित्रण, सर्वेक्षण जिला बाल संरक्षण इकाइयों के लिए प्रमुख अधिदेश है।
 किन्तु इस सन्दर्भ में समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के अंतर्गत बजट एक प्रमुख बाधा है।
- वर्तमान में, सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए इस योजना के महत्वपूर्ण तथा अत्यधिक प्रासंगिक घटक जैसे - पालन-पोषण सम्बन्धी देखभाल, प्रायोजन कार्यक्रम एवं बड़े बच्चों के लिए अनुरक्षण अत्यधिक अविकसित स्थिति में हैं।
- चाइल्डलाइन 1098 हेल्पलाइन के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवाएं भी, विशेषकर मोबाइल फ़ोन के आगमन एवं PCOs का प्रचलन समाप्त होने के बाद, पीड़ित बच्चों के लिए सुगम्य नहीं रह गयी हैं। सड़क पर रहने वाले और बेघर बच्चों के लिए इन नंबरों पर पहुंच कठिन हो गई है।
- कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और संवेदीकरण एवं जागरूकता सृजन संबंधी कार्यकलापों पर भी अत्यल्प ध्यान दिया जाता रहा है।

परिणामस्वरूप, इसके सराहनीय लक्ष्य के बाद भी, समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) में अग्रसिक्रय और निरंतर प्रयासों के माध्यम से देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तक पहुंच स्थापित करने में सुव्यवस्थित तंत्र का अभाव एक मुख्य बाधक है।

सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Siksha Abhiyan -SSA)

यह कार्यक्रम स्कूली शिक्षा से वंचित वासस्थानों में नए स्कूल खोलने और अतिरिक्त कक्षा गृहों (क्लास रूम), शौचालयों, पेयजल, अनुरक्षण अनुदान एवं स्कूल सुधार अनुदान के प्रावधान के माध्यम से मौजूदा स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अपर्याप्त शिक्षक संख्या वाले मौजूदा स्कूलों को अतिरिक्त शिक्षक प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही व्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण-अधिगम सामग्रियों के विकास के लिए अनुदान और समूह (क्लस्टर), प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर विद्यमान शैक्षणिक समर्थन संरचना को सुदृढ़ करने के माध्यम से मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) जीवन कौशलों सिहत गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) का लड़िकयों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान है। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) इिजिटल अंतराल को भरने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का भी प्रयास करता है।

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के प्रदर्शन का मूल्यांक्रन

- सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के हस्तक्षेपों के कारण स्कूली शिक्षा प्रणाली से बाहर (आउट-ऑफ-स्कूल) बच्चों की संख्या में उल्लेखकीय कमी देखी गई है। सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्थान (SRI-Social and Rural Research Institute) अंतर्राष्ट्रीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो (IMRB-International Marketing Research Bureau) द्वारा आयोजित स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार स्कूली प्रणाली से बाहर स्थित (आउट-ऑफ-स्कूल) बच्चों की संख्या वर्ष 2005 में 134.6 लाख थी जो वर्ष 2009 में कम होकर 81.5 लाख रह गई है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रत्येक आवासीय स्थल (बस्ती) से 1 किमी के भीतर स्कूल की उपस्थिति अनिवार्य करता है ताकि हर बच्चे को उसके आवासीय स्थल (बस्ती) के अंतर्गत स्कूल प्राप्त हो सके। इस निर्धारण ने स्कूलों की उपलब्धता में वृद्धि की है।

